उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन), कालाकांकर हाउस,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

पत्रांक 2745 /यू.पी.रेरा/प्रशा.प्रको./2023-24 दिनांक: 29 /02/2024

कार्यालय आदेश

प्रदेश के रियल-एस्टेट सेक्टर के विकास में भू-संपदा अभिकर्ताओं की अहम भूमिका एवं योगदान को ध्यान मे रखते हुए एवं अभिकर्ताओं द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों में ओर अधिक स्थिरता लाए जाने के उद्देश्य से उ.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इससे अभिकर्ताओं को नियामक ढांचे का ज्ञान, नियमों की समझ, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुपालन एवं जागरूकता बढ़ेगी तथा सेक्टर के नियमन एवं समग्र विकास में भी बढ़ोतरी होगी।

उ.प्र. रेरा में पंजीकरण से पूर्व अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। जो अभिकर्ता उ.प्र. रेरा में पहले से पंजीकृत हैं, उनके द्वारा अग्रिम एक वर्ष की अवधि के अंदर प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा अन्यथा पूर्व मे निर्गत किया गया पंजीकरण रद्द हो जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम रेरा अधिनियम, उ.प्र. रेरा नियमावली, विनियमों, समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों, हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, घर खरीदारों तथा प्रोमोटर्स के मध्य रियल एस्टेट लेनदेन को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रासंगिक कानूनों पर केंद्रित होगा। प्रशिक्षण कुल तीन दिवस का होगा तथा अभिकर्ताओं को मूल्यांकन चौथे दिन करने के उपरांत प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण माह अप्रैल, 2024 से प्रारंभ होगा जिसके अंतर्गत रेरा पोर्टल पर पंजीकृत लखनऊ जिले के अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त के संबंध मे एतद्द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि उ.प्र. रेरा मे पंजीकृत लखनऊ जिले के अभिकर्तागण रेरा पोर्टल पर अपने लॉगिन से प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण हेतु ऑनलाइन नामांकन प्रस्तुत करना तत्काल सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी नामांकन के उपरांत प्रदान की जाएगी।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव